(A4)

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 60/2019 (अपील)

जीसीएमएस नं0–2019/00190

1. राजेश कुमार आत्मज श्री रामनारायण
2. जोधराज आत्मज श्री रामनारायण
3. कन्हैयालाल आत्मज रामनारायण
4. भीमराज आत्मज श्री रामनारायण
5. श्रीलाल आत्मज श्री भोलू

जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम मवासा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. बृजराज आत्मज श्री पन्नालाल
2. द्वारकीलाल आत्मज श्री पन्नालाल
3. राधाकिशन आत्मज श्री पन्नालाल
4. विमल आत्मज श्री पन्नालाल

निवासीगण ग्राम मवासा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

––रेस्पोडेन्टस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बनाराजगी निर्णय दिनांक 20.10.2010 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा, मिसल संख्या 35/2009 बउनवान पन्नालाल बनाम गणपतलाल व अन्य कार्यवाही धारा 251 रा0टी0ए0 1955

निर्णय

दिनांक– 08/09/2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील लाडपुरा जिला कोटा ने रास्ते के सम्बन्ध में दिनांक 20.10.2010 को निर्णय पारित किया है कि "प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी के सुखाचार हेतु अपने खाते की भूमि पर आने जाने के लिये खसरा नम्बर 684, 742, 743 में प्रतिपक्षीगणों द्वारा पत्थरों से किये गये अवरोध को हटाकर पुरातन रास्ते 8 फुट को खुलासा करने के आदेश दिये जाते है । पालना हेतु सर्किल कानूनगो/ पटवारी हल्का को लिखा जावें । "

2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा के उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.07.2019 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि खसरा नम्बर 683, 684, 685 की कुल 3 किता की रकबा 1.21 हे0 में अपीलांट्स के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि चली आ रही है और रेस्पोडेन्ट ने खसरा नम्बर 684 व खसरा नम्बर 742 की भूमि के मध्य रास्ता होना बताया है, जो गलत है । कभी भी रेस्पोडेन्ट खसरा नम्बर 684 व खसरा नम्बर 742 की भूमि के मध्य स्थित मेड पर रास्ता नहीं रहा है बल्कि 40 वर्ष पूर्व से मेड पर पत्थर की बाउण्ड्रीवाल अपीलांट्स के पूर्वजों द्वारा की हुई है । अपीलांट्स

जिला कलेक्टर
कोटा

(A5)

खसरा नम्बर 684 के खातेदार व काश्तकार होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट ने उन्हें चालाकी से आवेदन में पक्षकार बनाये बिना न्यायालय को गुमराह करते हुये अपीलांट्स की खाते की भूमि पर रास्ता होना बताकर आदेश प्राप्त किया है, जिससे अपीलांट्स पीड़ित है और उक्त निर्णय से प्रभावित है और बिना सुनवाई का अवसर पारित किये निर्णय पारित हुआ है जो प्राकृतक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है । चूंकि कभी भी खसरा नम्बर 684,642, व 643 की भूमि में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 का रास्ता नहीं रहा है और ना ही उनके पिता स्वर्गीय पन्नालाल जी के जीवनकाल में उक्त भूमि पर रास्ता रहा है और जिस गडार का बरसों पुराना होना बताया जा रहा है उसका इंद्राज भी राजस्व रिकार्ड में या नक्शें में दर्ज नहीं है । ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट के स्व0 पिता पन्नालाल द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र धारा 251 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत पोषणीय नहीं है । नवीन रास्ता कायम करने की अधिकारिता तहसीलदार महोदय को नहीं है । इस सम्बन्ध में विधि को स्थापित कर दिया गया है और राजस्थान सरकार द्वारा 251–ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में जोडते हुये नवीन रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में प्रावधान प्रतिस्थापित कर दिये है और इस सम्बन्ध में एकमात्र अधिकारिता उपखण्ड अधिकारी को प्रदान की गई है । अपीलांट्स को उक्त निर्णय की जानकारी हल्का पटवारी गोपाल सिंह जी व कानूनगो अखलाक जी जब रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायंत 3 के साथ अपीलांट्स की कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 684 पर दिनांक 6.7.2019 को आये और अपीलांट को अपनी भूमि से बाउण्ड्रीवाल हटाने के लिये कहा कि यहां पर रास्ता कायम करना है और अपीलांट को धमकी दी कि स्वयं बाउण्ड्रीवाल हटा लें नहीं तो पुलिस उनके साथ आकर अपीलांट के खते से बाउण्ड्रीवाल हटाकर रास्ता कायम कर दिया जायेगा । उक्त निर्णय उसे पक्षकार बनाये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में पारित हुआ है । इस पर तुरन्त सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया, किन्तु पत्रावली की नकल नहीं दी गई । इस पर यह अपील अपीलांटस को प्राप्त निर्णय की फोटो प्रति के साथ पेश की जा रही है । अपील की जानकारी दिनांक 6.7.2019 से अवधि मध्य पेश है । देरी माफ करने के सम्बन्ध में अलग से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन संलग्न है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2010 निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, लिखित बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 4 के पिता पन्नालाल द्वारा एक आवेदन पत्र वास्ते रास्ता खुलासा कराने का राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गणपतलाल आत्मज मथुरालाल, रामावतार, नेमीचंद, अनुराम पिसरान शंकरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम मवासा तहसील लाडपुरा जिला कोटा को जारी किये गये, जिसमें नेमीचंद व रामावतार उपस्थित हुये और दिनांक 22.2.2010 को अनुपस्थित होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर दिनांक 5.10.2010 को एक पक्षीय बहस प्रार्थी की सुनकर निर्णय दिनांक 20.10.2010 को पारित फरमा दिया ।

जिला कलेक्टर
कोटा

उपरोक्त निर्णय मूल विधि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 के विरूद्व है । अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकारिता के बाहरजाकर तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है जबकि अपीलांट्स की भूमि खसरा नम्बर 684 पर रास्ता रेस्पोडेन्ट को देने के आदेश दिये है । उक्त खसरा नम्बर 684 की भूमि अपीलांट्स की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड व नक्शे का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है । चूंकि कभी भी खसरा नम्बर 684,642,व 643 की भूमि में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 का रास्ता नहीं रहा है और ना हीं उनके पिता स्वर्गीय पन्नालाल जी के जीवनकाल में उक्त भूमि पर रास्ता रहा है और जिस गडार का बरसों पुराना होना बताया जा रहा है उसका इंद्राज भी राजस्व रिकार्ड में या नक्षे में दर्ज नहीं है । इस प्रकार कभी भी अपीलांट के खसरा नम्बरान की भूमि पर रेस्पोडेन्ट का रास्ता नहीं रहा है और ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट के स्व0 पिता पन्नालाल द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र धारा 251 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत पोषणीय नहीं है । चूंकि धारा 251 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत पुराने रास्ते को ही खुलासा करवाये जाने के प्रावधान है न कि नवीन रास्ता कायम करने का । अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की अधिकारिता से बाहर जाकर अपीलांट की कृषि भूमि पर नवीन रास्ता कायत करने का निर्णय पारित कर दिया है जो सम्भव नहीं है । नवीन रास्ता कायम करने की अधिकारिता तहसीलदार महोदय को नहीं है । चूंकि वादग्रस्त भूमि जिस गांव में स्थित है उस गांव में ग्राम पंचायत का अस्तित्व है इसलिये पुराने रास्ते को यदि किसी व्यक्ति ने बंद कर दिया है तो उसको खुलासा करने के लिये आवेदन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया जायेगा और 45 दिन दिन बाद आवेदन मंगवाकर निपटारा कर सकते है, परंतु अपीलांट के प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को ग्राम पंचायत मवासा को भेजने के बजाय स्वयं ही सम्पूर्ण बेसिक कानून को नजर अंदाज करते हुये अधिकारिता के बाहर जाकर निर्णय पारित किया है जो प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है । इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा विधि को स्थापित कर दिया है । इस सम्बन्ध में न्यायिक निर्णय 2012 (2) RRT page1203, 2004 RRD page 597 1994 RRD page 444,2010 RRD 507 संलग्न है । न्यायिक निर्णय DNJ 2017 (1) page 01में काष्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता जबकि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट अपीलांट की खातेदारी व मालिकाना स्वामित्व की भूमि में रास्ता का दावा कर रहे है और अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी स्थिति को देखे बिना ही अपीलांट की भूमि में से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है जो कानूनन त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा जिस निर्णय के विरूद्व अपील पेश की गई, उक्त अपील में वर्णित पक्षकारान आराजी ख0नं0 743 एवं 742 के खातेदारों को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये अपील नोनजोइन्डर ऑफ पार्टीज के सिद्वान्त के आधार पर खारिज होने योग्य है । उक्त अपील में गणपत आत्मज मथुरालाल धाकड नेमीचन्द, रामावतार अनुराग पिसरान शंकरलाल धाकड निवासी मवासा को पक्षकार नहीं बनाया जबकि उपरोक्त पक्षकारान उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार है । रेस्पो0 के पिता पन्नालाल द्वारा जब प्रार्थना पत्र पेश

जिला कलेक्टर
कोटा

किया गया तथा उस वक्त अपीलान्ट विवादित आराजी ख0नं0 684 के खातेदार नहीं थे इस कारण स्व0 पन्नालाल द्वारा सही रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को राजस्व रिकार्ड में वर्णित खातेदारान को ही पक्षकार बनाया गया था तथा साबिका खातेदारान के विरूद्व सही प्रकार से तहसील से निर्णय पारित किया गया है । प्रार्थी स्व0 पन्नालाल द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र सन 2009 में प्रस्तुत किया गया है तहसीलदार को सन 1992 में ही रास्ता खुलासा करने का तथा धारा 251 आर0टी0एक्ट के तहत सुनवाई किये जाने का अधिकार दिया गया था, ग्राम पंचायत का अधिकार दिनांक 14.7.2009 को ही विलोपित कर दिया गया था तथा इसके उपरान्त से ही अधिसूचना दिनांक 14.7.2009 से ही रास्ता खुलासा करने के अधिकार दिये गये थे उक्त आदेश के तहत ही तहसीलदार द्वारा उक्त प्राथ्रना पत्र पर सुनवाई का अपना निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है । उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करनें से पूर्व पटवारी हल्का मवासा से रिपोर्ट तलब की गई जिस पर दिनांक 15.7.2009 रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई उक्त रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 672,686 तथा 685, व 684 की मेड पर नक्शे में रास्ता मौजूद बताया परन्तु ख0नं0 684,742,743 के खातेदारों द्वारा पत्थरों का कोट की दीवार खडी कर प्रार्थी का रास्ता बन्द करना बताया है तथा उक्त रास्ता अवरूद्व होने से प्रार्थी का खेत पडत होना बताया गया है । उक्त रिपोर्ट आने के बाद तहसीलदार द्वारा पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सही प्रकार से निर्णय पारित कर रास्ता खुलासा करने का आदेश प्रदान किया गया है । उस वक्त तक अपीलान्ट का कोई अस्तित्व राजस्व रिकार्ड में मौजूद नहीं था । अपीलान्ट द्वारा वर्तमान में भी रेस्पो0 का रास्ता अवरूद्व कर रखा है जिसको खुलासा करवाया जाना व उसके पत्थरों के कोट को हटवाया जाना आवश्यक है । जिसके विरूद्व लगातार कार्यवाहीयां प्रार्थी रेस्पो0 द्वारा की जा रही है तथा स्वयं तहसीलदार भी अपीलान्ट द्वारा 684 की भूमि की मेड पर पत्थरों का कोट होना माना है तथा रास्व सचिव द्वारा भी उक्त पत्थरों का कोट हटाये जाने का निर्देश दिया हुआ है । प्रार्थी रेस्पो0 समय समय पर रास्ता अपीलान्ट से खुलासा करवाये जाने की कार्यवाही तहसीलदार लाडपुरा में करता आ रहा है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को भी है इन सबके बावजूद अपीलान्ट रास्ते को खुलासा नहीं कर रहे तथा अपील की आड लेकर रास्ता खुलासा नहीं कर रहे है । अतः अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मय खर्चा खारिज की जावें तथा अपीलान्ट ने 684 की मेड पर जो पत्थरों का कोट कर रखा हे उसे हटवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

6. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार लाडपुरा के आदेश दिनांक 20.10.2010 के विरूद्व दिनांक 25.07.2019 को लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के पेश की गई है, वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विलम्ब से पेश होने के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको बिना सुने निर्णय पारित करने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं होने से तथा जब रास्ता खुलासा करने पटवारी व भू अभिलेखनिरीक्षक के उनकी भूमि पर आने पर होना बताया है, वकील अपीलान्ट के बताए गये तथ्यों पर वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में कोई खण्डन नहीं किया है । ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए

जिला कलेक्टर
कोटा

(A8)

अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाता है । तथा प्रकरण में अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होने से धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

7. वकील अपीलांट का कथन है कि जो रस्ता अधीनस्थ न्यायालय ने खुलासा कराया गया है वह राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में रास्ता दर्ज नहीं है, यह भूमि ख0न0 684,642 व 643, अपीलांट की खातेदारी भूमि है, खातेदारी भूमि में रास्ता कायम करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है । अपीलांट के इस बिन्दु पर आंशिकरूप से सहमत है कि खातेदारी भूमि में रास्ता कायम करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है तथा खातेदारी भूमि में नया रास्ता कायम कराने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए के तहत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में वाद पेश करना चाहिए । किन्तु यह जांच का विषय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खुलासा कराए गये रास्ते की भूमि वाकई खातेदारी है अथवा सिवायचक या गे0मु0 रास्ता की भूमि । यदि उक्त विवादित भूमि खातेदारी भूमि है तो नियमानुसार उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रास्ता कायम कराया जावें । साथ ही अपीलांट द्वारा यह भी कथन किया है रास्ता खुलासा कराए जाने हेतु प्रार्थना पत्र को ग्राम पंचायत के पास निस्तारण हेतु नहीं भिजवाया गया तथा 45 दिवस पश्चात ही तहसीलदार को रास्ता खुलासा कराने हेतु निर्णय पारित करने का अधिकार है इस बाबत वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय 2012 (2) RRT page1203, 2004 RRD page 597 1994 RRD page 444,2010 RRD 507 इस अपील में लागू नहीं होते है । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय RRT2018(1) अनुसार राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक F. 3(2)Rev.V1/2003/Pt/18,S.O.122 dt. 6-7-2009 के द्वारा रा0काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में प्रथम 45 दिन तक की ग्राम पंचायत की शक्तियां दिनांक 14.7.2009 के पश्चात समाप्त की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह बिन्दु स्वीकार योग्य नहीं है ।

8. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः तहसीलदार लाडपुरा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उनके द्वारा आदेश दिनांक 20.10.2010 से खुलासा कराए गये रास्ते की भूमि की जांच करें कि यह रास्ता वास्तव में नक्शा एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज है या नहीं ? यदि यह प्रचलित आम रास्ता अपीलांट की खातेदारी भूमि में बनाया हुआ है तथा राजसव रेकार्ड में रास्ता कायम नहीं है तो उसके लिए रेस्पोडेन्ट सम्बन्धित सक्षम न्यायालय में अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर नया रास्ता कायम कराने की कार्यवाही करें । साथ ही यदि राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में गे0मु0 रास्ता दर्ज हो तो रास्ता खुलासा करवाया जावें ।

9. निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा